

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 5855—5856

Dated : 12-10-2013

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2013

का०आ० 2182.—केन्द्रीय सरकार बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 16 जनवरी, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 176 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपर्युक्त अधिसूचना में प्रविष्टियों 8 और 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

- “8. डॉ० एम० रामासामी सदस्य
रासी सीड (प्रा०) लिमिटेड
अतुर, सलेम जिला
तमिलनाडु
9. डॉ० उषा बारवाले, सदस्य”।
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी,
महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कम्पनी लिमिटेड
जालना, महाराष्ट्र

[फा० सं० 3-20/2011-बीज-IV]

राम कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का०आ० 176(अ), तारीख 16 जनवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2013

S.O. 2182.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (3) of Section 3 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby appoints the following members to the Central Seed Committee and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 176(E), dated the 16th January, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 16th January, 2013, namely:—

In the said notification for entries 8 and 9 the following entries shall be substituted, namely:—

- “8. Dr. M. Ramasami, Member
Rasi Seeds (P) Limited,
Attur, Salem District,
Tamil Nadu.
9. Dr. Usha Barwale, Member”.
Chief Technology Officer,
Maharashtra Hybrid Seeds
Company Limited,
Jalna, Maharashtra

[F. No. 3-20/2011-SD-IV]
RAM KUMAR, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 176(E), dated the 16th January, 2013.